न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(बईजलास पीठासीन अधिकारी बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 03/2019 निर्णय दिनांकः 20.10.2022

1. श्री कंवरअली पिता मनसब अली मुसलमान नि.किरतपुरा, तह. बडीसादडी

प्रार्थी

।।बनाम।।

1. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बड़ीसादड़ी
2. श्री रहमत अली मुत.शेरअली मुसलमान नि. किरतपुरा

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act

।। निर्णय ।।

उपस्थिति :– 1 श्री जगदीश प्रसाद वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थी

2 श्री अनिल कुमार सोनावा अधिवक्ता अप्रार्थी नम्बर 02

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act के तहत इस आश्य का पेश किया कि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार के संयुक्त खातेदारी की खाता सं. 8 की आराजी नं. 12, 13, 28, 30, 38, 39, 58, 238, 239, 240, 241, 242, 247, 251, 252, कुल किता 15 कुल रकबा 7.55 हैक्टे. तथा खाता सं. 81 की आराजी नं. 223 रकबा 0.38 हैक्टे. गांव किरतपुरा तहसील बडीसादडी में स्थित है। खाता सं. 8 की आराजीयात में मुझ प्रार्थी का 1/9 हक हिस्सा होकर मैं प्रार्थी अपने हक हिस्से की आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हु खाता सं. 81 की आराजी मुत. शेर अली मुसलमान की खातेदारी में दर्ज है। खाता सं. 8 आराजी नं. 238, 239,240,241,की पश्चिमी तरफ व आराजी नं. 223 की पूर्वी तरफ एक कदीमी रास्ता स्थित है। यह रास्ता गांव किरतपुरा से हमारी आराजी के पश्चिमी दिशा से होकर आगे अन्य आराजीयात पर होता हुआ आगे गांव वागेलों का खेड़ा तक जाता है। इसी रास्ते से होकर हम खातेदारान व गांव के अन य व्यक्ति आते जाते [illegible] पैदल, बैलगाडी, मवेशी, ट्रेक्टर, घास व फसल लाते ले जाते है। यह रास्ता मौके पर [illegible] 50–60 वर्षों से चला आ रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.01.03 16:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

है तथा राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेस में भी अंकित है।तहसील बडीसादडी में सेटलमेन्ट हुआ उसके बाद से उपरोक्त वर्णित कदीमी रास्ता का अंकन नक्शा ट्रेस में होने से सहवन से रह गया है, जबकि उक्त रास्ता सेटलमेन्ट से पूर्व नक्शा ट्रेस में दर्ज था। वर्तमान खाता सं. 8 की आराजी नं. 238, 249, 240 व 241 के सेटलमेन्ट से पूर्व आराजी नं. 211, 212, 213, 214 थे व वर्तमान खाता सं. 81 की आराजी नं. 223 के सेटलमेंट से पूर्व के आराजी न. 196 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थे। उपरोक्त सभी नंबरों का मिलान खसरा प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने विपक्षी को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर होकर जाने वाले रास्ते को पुर्ववत नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु निवेदन किया, लेकिन विपक्षी द्वारा उक्त संशोधन नहीं किया व श्रीमान के न्यायालय में प्रार्थनापत्र पेश करने का निर्देश दिया इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के गांव किरतपुरा की आराजी आराजी नं. 238, 239, 240, 241 के पश्चिम दिशा में व आराजी नं. 223 के पूर्व दिशा में दोनों के बीच में पुर्ववत राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज किये जाने का भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी को आदेश प्रदान कराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.01.03 16:44:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये से नोटिस से तलब किया गया । विपक्षी न. 01 बावजुद सुचना के अनुपस्थित रहने से एक तरफा के आदेश पारित किये गये। अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सोनावा वकालतनामा के साथ आदेश 01 नियम 10 का प्रार्थना का पेश किया गया। जिसको बाद कार्यवाही स्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र में विपक्षी नम्बर 02 के रूप में जोड़ा गया। प्रार्थना पत्र के जवाब में अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि सहखातेदारी में स्थित है जिसके अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच की भूमि पर प्रत्येक खातेदार का हक व अधिकार होता है व मुझ प्रार्थी / विपक्षी रहमतअली की खाता संख्या 81 से प्रार्थी कंवर अली का कोई संबंध व सरोकार नहीं है प्रार्थना पत्र सभी सहखातेदारों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है मौके पर जो रास्ता है वर्तमान राजस्व अभिलेख में अंकित है उक्त रास्ता आराजी नंबर 237 में होता हुआ आराजी नंबर 238 जो कि प्रार्थी कंवर अली की संयुक्त खातेदारी है जो आराजी नंबर 238 की सीमा पर समाप्त होता है उक्त रास्ते की भूमि पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज है जिसका रकबा 06 बिस्वा है उक्त रास्ता प्रार्थी रहमत अली ने संसोधन करवा दिया है मौके

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

पर भी इसी अनुसार है राजस्व नक्शा ट्रेस में भी तरमीम शुदा है प्रार्थी रहमत अली ने आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में संसोधन द्वारा इन्द्राज करवा दिया है प्रार्थी ने बेबूनियादी तथ्य अंकित किए है जो अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र कि चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्यों का वर्तमान राजस्व नक्शे से भिन्न है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है चूंकि प्रार्थी रहतम अली ने पूर्व में उक्त राजस्व नक्शा में संसोधन करवा दिया है इसलिए प्रार्थी अब पुनः राजस्व नक्शा में संसोधन कराया जाने का अधिकारी नहीं है पूर्व में उक्त रास्ते के संबंध में संसोधन आप न्यायालय द्वारा कर दिया गया है संसोधन अब पुनः प्रार्थी कंवर अली नहीं करवा सकता। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत रेसजुडिसकोटा की परिभाषा में आता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने योग्य है ।

बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थनपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाते हुए नक्शें में संसोधन करने का आदेश पारित कराया जाए। जिसके खण्डन में विपक्षी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी ने संसोधन कराने संबंधी मौका रिपोर्ट तहसीलदार बडीसादडी से नहीं मगवाई गई है किस आधार पर यह माना जावे कि राजस्व नक्शें में संसोधन किस प्रकार किया जाना है राजस्व नक्शें में संसोधन पूर्व में विपक्षी कमांक 2 ने आप माननीय न्यायालय में आवेदन करके विधिवत रूप से राजस्व नक्शें में डोटेड तरमीम करा दिया है वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी में स्पष्ट विपक्षी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत खारिज किए जाने योग्य है प्रार्थी के नाम वर्णित आराजियात संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें सभी सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्याय नियमों के विरूद्ध होने से खारिज किया जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी एवं विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर चिंतन एवं मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं जवाब के दस्तावेजो से यह सिद्ध होता है कि प्रकरणग्रस्त आराजीयात सहखातेदारी में दर्ज होकर भिन्न–भिन्न [illegible]र है। जिनको वकील प्रार्थी ने प्रार्थी में किसी प्रकार विपक्षी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया। सेटलमेंट से पूर्व वर्तमान नक्शा ट्रेस में संसोधन न्यायालय हल्का के पूर्व प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 136 के तहत रहमत अली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.01.03 16:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

के द्वारा पेश में आदेश क्रमांक/राजस्व/2020/147 दिनांक 28.09.2020 से ग्राम किरतपुरा की आराजी नंबर 238 में डोटेड रास्ता दर्ज किया जाने के आदेश पारित किए जा चुके है पुनः प्रार्थी कंवर अली द्वारा आगे जाने वाले रास्तें वागेलो का खेड़ा में डोटेड करवाये जाने का प्रार्थनापत्र पेश किया है जो डोटेड दर्ज करवाने में प्रार्थी ने कोई पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं किए है जिससे यह माना जा सकें कि पूर्व नक्शा अनुसार राजस्व नक्शा में वर्तमान नक्शे में प्रस्तुत प्रा.पत्र अनुसार संसोधन की आवश्यकता है इस प्रकार के प्रार्थनापत्र पेश करने से प्रार्थनापत्र 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के विहित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है व बिना किसी सहखातेदार को सुने प्रस्तुत प्रार्थना पर किसी प्रकार आदेश पारित किया जाना भी न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। प्रार्थनापत्र धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार भी बाधित है।

अतः समग्र विश्लेषण से प्रार्थी अपना प्रार्थनापत्र 136 दस्तावेज के अभाव में साबित करने में असफल रहने व धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार बाधित होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)RAS
उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.01.03 16:44:23 IST
Reason: SelfAttested